संख्या– 669/VI /2004–30 पर्य0/2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2004

विषयः–जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–226/2–6–215/2003–04 दिनांक 27–08–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दो योजनाओं हेतु अवशेष कुल रू 4.38 लाख (रूपये चार लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है:–

क0स0	योजना का नाम	जारी की जा रही अवशेष धनराशि
1–	बजलाड़ी में रूद्रेश्वर महादेव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	रू0 1.13 लाख
2–	ग्राम बखरेटी पुजेली में राजा रघुनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	रू0 3.25 लाख
	कुल योगः–	**रू0 4.38 लाख**

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उसके उपरान्त इन योजनाओं की लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा ।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

7- स्वीकृति की जा रही धनराशि का 31-03-2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायगा।

8- कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाये और उक्त लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

10- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्वर्धन तथा प्रचार-91-जिला योजना-07-पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

11-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1109/वित्त अनु0-3/2003, दिनांक 13 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या- VI /2004-30 पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, माजरा सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5- निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री जी ।
6- निजी सचिव माननीय पर्यटन मन्त्री जी ।
7- एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
8- श्री एल0एन0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23/9/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।